



IS 2062:2011

MAHAMAYA STEEL INDUSTRIES LIMITED

CIN : L27107CT1988PLC004607



ISO 9001:2015

REGD. OFFICE & WORKS :

B/8-9, Sector-C, Sarora,
Urla Industrial Complex,
Raipur-493 221 Chhattisgarh



Phone : 0771 4910058

091099 88271

E-mail : marketing@mahamayagroup.in

Website : www.mahamayagroup.in

Ref: MSIL/2019-20/

Date: 13.11.2019

The General Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 513554

The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Symbol: MAHASTEEL

Sub : Publication Of Unaudited Financial Results for the quarter & half year ended 30th September, 2019.

Dear Sir/Madam,

We have published the extracts of Unaudited Financial Results for the quarter & half year ended 30th September, 2019 in Active Times, Mumbai Lakshwadeep & Amrit Sandesh Raipur.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

This is for your necessary information & records.

Thanking You,

Yours truly,

For, Mahamaya Steel Industries Limited

Jaswinder Kaur Mission

Company Secretary

Encl: as above



APPROVED SUPPLIER OF : BSP, BHEL, DGS&D, DMRC, SAIL, RIL, NTPC, SEBs, RDSO, CORE, ONGC, GAIL, EIL
MANUFACTURERS : JOIST, CHANNEL, ANGEL, FLAT, ROUND, CROSSING SLEEPER BAR, BLOOM, BILLET etc.

FORM N. D.
rule (92 (3))

PLACE : MUMBAI
DATE : 12th November, 2006

The full format of Quarterly Financial Results :

in the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website
For Indo Euro Indichem Ltd
Sd/-
Director- AKSHIT B LAHOTIA
DIN: -00334241

Place : Raipur
Date: 12.11.2019

Add: A-11/5, Sector-3 Udaya Society, Tatbandh
 Raipur - 492001 Chhattisgarh

PLACE : MUMBAI
DATE : 12th November, 2012

The full format of Quarterly Financial Results :

For India Euro Indichem Ltd.
Director: AKSHIT B LAJOI
DIR: +903342421

Place : Raipur
Date: 12.11.2019

Rajesh Agrawal
Managing Director
DIN: 00606417
Add: A-11/5, Sector-3 Udaya Society, Tatbandh
Raipur - 492001 Chhattisgarh

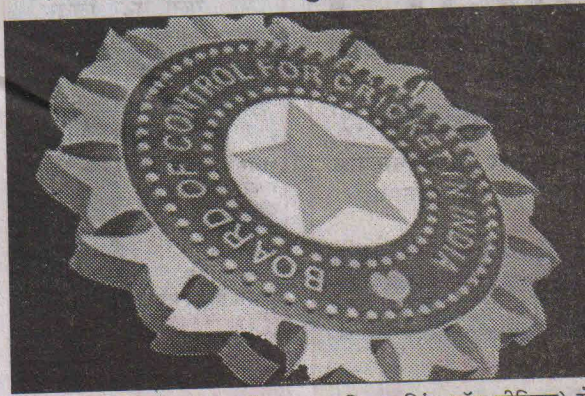
Rajesh Agrawal
Managing Director
DIN: 00606417
Add: A-11/5, Sector-3 Udaya Society, Tatbandh
Raipur - 492001 Chhattisgarh

संविधान में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट का उपहास होगा

नई दिल्ली, 12 नवंबर (ए)।

बीसीसीआई का नया संविधान तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले लोढ़ा समिति के सचिव गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर किये गये सुधारों में बदलाव करने की बोर्ड की योजना देश की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता का उपहास होगा. शंकरनारायणन का मानना है कि उच्चतम न्यायालय की अब भी इस मामले में भूमिका है और उसे उचित कदम उठाने चाहिए अन्यथा बीसीसीआई के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के उसके सारे प्रयास बेकार चले जाएंगे.

उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर ऐसा करने की अनुमति दी जाती है और अगर अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जाती और न्यायालय में भी इसे चुनौती नहीं मिलती या वह इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो इसका मतलब न्यायालय और



पिछले वर्षों में किये गये कार्यों का उपहास करना होगा. संशोधित संविधान में बदलाव का प्रस्ताव शनिवार को सामने आया जब बीसीसीआई के नये सचिव जय शाह ने बोर्ड की एक दिसंबर को मुंबई में होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिये एजेंडा तैयार किया.

सबसे प्रमुख संशोधनों में पदाधिकारियों के लिये विश्राम की

अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) से जुड़े नियमों को बदलना, अयोग्यता से जुड़े विभिन्न मानदंडों को शिथिल करना और संविधान में बदलाव करने के लिये उच्चतम न्यायालय से मंजूरी लेने की जरूरत को समाप्त करना शामिल हैं. शंकरनारायणन ने कहा कि इसका मतलब होगा कि जहां तक क्रिकेट प्रशासन और सुधारों की बात है तो फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाना. अधिकतर

महत्वपूर्ण बदलावों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. शंकरनारायणन लोढ़ा समिति के सचिव थे जिसे उच्चतम न्यायालय ने देश के क्रिकेट प्रशासन में सुधार करने के लिये 2015 में नियुक्त किया था. पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा इस समिति के अध्यक्ष थे जिसमें उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन और अशोक भान भी शामिल थे. शंकरनारायणन ने कहा कि अगर बदलावों को अपनाया जाता है तो उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वह (बीसीसीआई) (संविधान में) बदलाव करेगा तो उन्हें उच्चतम न्यायालय की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. सुधारों का खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले शंकरनारायणन का हालांकि मानना है कि शीर्ष अदालत भी वर्तमान स्थिति के लिये आंशिक रूप से जिम्मेदार है क्योंकि उसने सुधारों को कमजोर करने में भूमिका निभायी. उन्होंने कहा, अगर संशोधन सर्वसम्मत हैं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता. मेरे विचार में अदालत की भी भूमिका होगी क्योंकि अदालत की इस सब में भूमिका रही है. यह विशिष्ट था जब प्रारंभिक सुधारों को (2016 में) मंजूरी दी गयी.



MAHAMAYA

STEEL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : B-8 & 9, Sector C, Urla Ind. Area, Sarora, Raipur (C.G.) 493 221 Ph.+91-771-4910058, Fax +91-771-4006611, 2324401
E-mail: cs@mahamayagroup.in Website: www.mahamayagroup.in CIN: L27107CT1988PLC004607

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2019

Rs. in Lacs

Sr. No.	Particular	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended	Quarter Ended	Six Moths Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Six Moths Ended
		30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2018 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2018 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)
1	Total Income From Operation	6,789.45	11,301.80	17,994.46	6,789.45	11,301.80	17,994.46
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	6.40	23.00	40.14	6.40	23.00	40.14
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.40	23.00	40.14	6.40	23.00	40.14
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	290.82	24.10	296.34	277.90	(16.98)	290.47
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	290.82	24.10	296.34	277.90	(16.98)	290.47
6	Equity Share Capital (face value of Rs.10/- each)	1,357.04	1,357.04	1,357.04	1,357.04	1,357.04	1,357.04
7	Earnings per equity share (of Rs.5/- each) (Not annualised):						
	(1) Basic (Rs.)	2.14	0.18	2.18	2.05	(0.13)	2.14
	(2) Diluted (Rs.)	2.14	0.18	2.18	2.05	(0.13)	2.14

NOTES:

- The above is an Extract of the detailed format of results for quarter and half year ended on 30th September, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation- 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone/consolidated unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2019 are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and the Company's website (www.mahamayagroup.in).
- Figures of the previous periods have been regrouped/ reclassified / restated wherever necessary.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 12th November, 2019

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Rajesh Agrawal
Managing Director
DIN: 00806417

Add: A-11/5, Sector-3 Udaya Society, Tailbandh
Raipur - 492001 Chhattisgarh

Place : Raipur
Date: 12.11.2019

न्यायालय तहसीलदार डभरा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ईशतहार

रा.प्र.क्र./अ-2/2019-20

ग्राम डभरा, प.ह.नं. 22

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है नगर पंचायत डभरा को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत डभरा प.ह.नं. 22 तहसील डभरा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. स्थित भूमि ख.नं. 2152/9 रकबा 0.006 हे. भूमि स्वामी हक की भूमि को आवेदक श्री प्रभात कुमार पिता श्री दानिक प्रसाद, जाति अचरिया, निवासी ग्राम डभरा तहसील डभरा जिला जांजगीर चांपा के द्वारा आवासीय प्रायोजन के लिए व्यपवर्तन किए जाने हेतु आवेदन पत्र श्रीमान अ.वि.अ. रा. डभरा के माध्यम से जांच हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 21.11.2019 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में किये गये दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय को मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
डभरा
जिला जांजगीर चाम्पा

AMRIT SANDESH
13.11.2019